


ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु सहभागी आयोजना अभ्यास का शुभारम्भ दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से किया जा रहा है



“ मिलजुल कर जब करेंगे काम, तभी बनेगा उन्नत ग्राम ”



क्रम संख्या	वार्ड संख्या	सहभागी आयोजना अभ्यास की अवधि	वार्ड समा आयोजन की तिथि
i	1 एवं 2	03 से 05 अक्टूबर 2018	05.10.2018
ii	3 एवं 4	06 एवं 08 अक्टूबर 2018	08.10.2018
iii	5 एवं 6	09 से 11 अक्टूबर 2018	11.10.2018
iv	7 एवं 8	12 एवं 14 अक्टूबर 2018	24.10.2018
v	9 एवं 10	22 से 24 अक्टूबर 2018	24.10.2018
vi	11 एवं 12	25 से 27 अक्टूबर 2018	27.10.2018
vii	13 एवं 14	29 से 31 अक्टूबर 2018	31.10.2018
viii	15 एवं 16	01 से 03 नवम्बर 2018	03.11.2018
ix	16 से अधिक	04 नवम्बर (16 से अधिक वार्ड होने पर उसके बाद लगातार तिथियों को / दो वार्ड)	
19 नवम्बर से 30 नवम्बर 2018 के बीच ग्राम सभा का आयोजन			
12 दिसम्बर 2018 को पंचायत समिति द्वारा प्रखंड कार्ययोजना का अनुमोदन			
जिला कार्ययोजना का अनुमोदन हेतु जिला परिषद् की बैठक दिनांक 25.12.2018 तक पूरा कर लिया जाये			

सहभागी आयोजना अभ्यास के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ

- प्रचार-प्रसार, नजदीनकशा और सर्वेक्षण द्वारा समुदाय के सहयोग से उनकी जरूरतों का आकलन,
- आयोजना अभ्यास में जीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी,
- निजी भूमि पर ली जाने वाली योजनाओं के लिए ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करना,
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित योजनाओं (जल संरक्षण, वृक्षारोपण, लघु सिंचाई आदि) के चयन पर विशेष बल,
- कृषि एवं तत्संबंधी कार्यों के चयन को प्राथमिकता,
- ग्रामीण हाट का उन्नयन, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालयों में चहारदिवारी निर्माण से सम्बंधित कार्यों का चयन,
- जल संरक्षण, कृषि, सिंचाई, रोजगार, स्वरोजगार, स्वच्छता आदि सम्बंधित जरूरतों पर आधारित योजनाओं का चयन,
- चयनित योजनाओं का वार्ड सभा से अनुमोदन,
- ग्राम सभा द्वारा सभी वार्डों के चयनित योजनाओं का प्राथमिकता का निर्धारण एवं वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन,
- जिला सिंचाई योजना (District Irrigation Plan) में शामिल मनरेगा की योजनाओं का भी सभी संबंधित ग्राम सभा के समक्ष उपास्थापन एवं अनुमोदन,
- योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समुदाय एवं सरकार की भागीदारी से उठाये गये अगले कदम,
- रूबन मिशन एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत आधारभूत संरचना के निर्माण से सम्बंधित योजनाओं के चयन पर विशेष बल

आईये विकास एवं समृद्धि की ओर साथ मिलाकर बढ़ाये एक कदम.....

अवेध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।